किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र रेफरेन्स धारा 82 पत्रावली संख्या 72/2012

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.03.2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। राजकीय अधिवक्ता कि बहस पर गहन मनन किया गया तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, आमेट द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2012 को पेश कर यह अनुरोध किया गया कि ग्राम लीकी तहसील आमेट में स्थित खसरा नं0 1584/344 रकबा 1.2900 हेक्टेयर किस्म पेटा II वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपिलार्थीगण के खाते अंकित है। अप्रार्थीगण के पिता श्री अनवर खां को ग्राम लीकी खसरा नं 344 रकबा 4.8000 हेक्टेयर में से 1.2900 हेक्टेयर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने पर जरिये नामान्तरण संख्या 146 से नवीन खसरा नं. 1584/344 रकबा 1.2900 हेक्टेयर किस्म पेटा II के रूप में श्री अनवर खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कि गई जो उतराधिकार से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2031 के अनुसार खसरा नं. 1584/344 का गत खसरा नं. 344 होकर यह खसरा नं. बंदोबस्त पूर्व के खसरा नं. 4 मी., 208 मी., 206 मी., 210मी. व 282मी. से बना है। जिसकी भूमिया तालाब पेटा की भूमिया होने से माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/2003 डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णयानुसार उक्त 1.2900 हेक्टेयर तालाब पेटा भूमि होने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार के लिये प्रतिबंधित होने से पुनः राजस्व अभिलेख में बिलानाम तालाब पेटा दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी,नालों,तालाबों,झीलो आदि की दिनांकः 15.08.1947 की स्थिति को बहाल की जानी हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार,आमेट के द्वारा मूल खसरा नम्बर 344 जो कि गत खसरा नम्बर 4 मी0,208 मि0,206 मि0,210 मि0 व 282 मि0 से बना हैं जिसके लिए मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी सम्वत् 1991 पेश की गयी जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि खसरा नम्बर 4 मि0 का मूल खसरा नम्बर 4 रकबा 12.02 बीघा किस्म रे0क0 09.09 बीघा,मगरी 02.13 बीघा, खसरा नम्बर 208 मि0 का मूल खसरा नम्बर 208 रकबा 03.00 बीघा किस्म रे0क0, खसरा नम्बर 206 मि0 का मूल खसरा नम्बर 206 रकबा 05.04 बीघा किस्म रे0क0 02.00 बीघा,मगरी 03.04 बीघा, खसरा नम्बर 210 मि0 का मूल खसरा नम्बर 210 रकबा 03.00 बीघा किस्म रे0क0 तथा खसरा नम्बर 282 मि0 का मूल खसरा नम्बर 282 रकबा 02.11बीघा किस्म भू0खा 02.04 बीघा(ता0 02.04),भू0रे0खा0 0.05 बीघा,भू0रे0बी0 0.02 बीघा अंकित हैं। उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों में सीधे तौर अंकित किस्म में किस्म तालाब पेटा अंकित नहीं हैं। जब खसरा नम्बर 344 गत सेटलमेंट व मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी अनुसार उपरोक्त वर्णित 5 खसरा नम्बरान से बना हैं जिसमें से किस खसरा नम्बर की भूमि किस्म तालाबी पेटा की है उसे तुलनात्मक नक्शा ट्रेस मेवाड़ सेटलमेंट का व वर्तमान नक्शा ट्रेस से पुष्टि की जानी थी जिससे यह साफ हो सके मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान अमुक खसरा नम्बर तालाबी पेटा था और उससे ही यह वर्तमान खसरा नम्बर 344 बना हैं जिसमें से अप्रार्थीगण के पिता को बादास्त भूमि आवंटित की गयी जो कि वस्तुतः तालाबी पेटा होने की पुष्टि करता हो। तहसीलदार,आमेट के द्वारा इस प्रकार का कोई सुसंगत राजस्व अभिलेख रेफरेंस प्रा0पत्र के साथ पुष्टि हेतु संलग्न नहीं कर अपूर्ण रेफरेंस प्रा0पत्र पेश किया जाना प्रकट हैं।

ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रकट हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, आमेट के द्वारा अपूर्ण रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो कि अपेक्षित रेकार्ड के अभाव में चलने योग्य नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम इस मामले में वादग्रस्त भूमि का वास्तव में तालाबी पेटा भूमि होने के सम्बंध में उपरोक्त वर्णित विवेचनानुसार पुनः जांच कर नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जाना उचित समझते है।

तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, आमेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि का मिलान खसरा पत्रक एवं मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी तथा नक्शा ट्रेस पुराना व नया से पुनः तुलनात्मक रुप से जांच करें एवं जांच में उक्त भूमि दिनांकः 15.08.1947 की स्थिति को किस्म तालाबी पेटा होने की पुष्टि होकर यदि मामला रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तैयार कर विधि अनुसार सुसंगत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफतर हों।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)